

## न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक

(डॉ० सौम्या झा, आई.ए.एस द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या  
प्रविष्टि दिनांक

10 / 2024  
30.09.2024

जरिये रामभजन मीना प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय जिला रसद अधिकारी टोंक

– प्रार्थी

बनाम

मै० महावीर प्रसाद जैन मैसर्स सुशील नमकीन भण्डार उनियारा जिला टोंक

– अप्रार्थी

जब्तशुदा 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत निस्तारण कर राजसात करने बाबत

उपरिस्थित:-

- 1- परोकार सरकार – प्रार्थी की ओर से
- 2- अप्रार्थी – स्वयं उपस्थित

निर्णय

दिनांक 28.11.2024

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि दिनांक 24.09.2024 को जिला रसद अधिकारी टोंक के नेतृत्व में प्रवर्तन अधिकारी के द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों के व्यवसायिक दुरुपयोग के निरीक्षण/जाँच हेतु उनियारा शहर में मैसर्स सुशील नमकीन भण्डार उनियारा जिला टोंक पहुँचे। मौके पर व्यवसाय स्थल की जाँच/तलाशी लेने पर व्यवसायी श्री महावीर प्रसाद जैन द्वारा घरेलू गैस श्रेणी के सिलेण्डर (मानकभार 14.2 KG) को ईंधन के रूप में अवैध रूप से मिठाई/नमकीन बनाने में प्रयुक्त किया जा रहा था। मौके पर 2 घरेलू श्रेणी के सिलेण्डर रखे पाये गये जिनमें से एक सिलेण्डर रेगुलेटर एवं गैस चूल्हा के माध्यम से अवैध रूप से मिठाई/नमकीन बनाने में ईंधन के रूप में मौके पर काम में लिया जा रहा था। घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण व ईंधन के रूप में अवैध रूप प्रयोग करने के कारण उक्त 2 सिलेण्डर मय गैस चुल्हा एवं रबर पाईप एवं रेगुलेटर की मौके पर फर्द अभिग्रहण तैयार की गई जिसका विवरण निम्नानुसार है



  
जिला कलेक्टर  
टोंक

(सभी मात्रा किलोग्राम में)

क्र.स.	एस.आर. नम्बर	कम्पनी का नाम	मानक भार	खाली सिलेण्डर वजन	सिलेण्डर का वजन तौलने पर	शुद्ध गैस
1	0775389 T	H.P.	14.2	15.1	22.0	6.9
2	13258 L	H.P.	14.2	15.4	19.0	3.6
						10.5

अतः उक्त जब्तशुदा 02 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय 10.5 Kg एलपीजी को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत धारा 6 ए के तहत निस्तारित करते हुए, उक्त जब्तशुदा सामग्री को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी की गयी। प्रकरण मे परोकार सरकार एवं अप्रार्थी की बहस सुनी गई।

परोकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया कि दिनांक 24.09.2024 को जिला रसद अधिकारी टोंक के नेतृत्व में प्रवर्तन अधिकारी के द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों के व्यवसायिक दुरुपयोग के निरीक्षण/जॉच हेतु उनियारा शहर में मैसर्स सुशील नमकीन भण्डार उनियारा जिला टोंक पहुँचें। मौके पर व्यवसाय स्थल की जॉच/तलाशी लेने पर व्यवसायी श्री महावीर प्रसाद जैन द्वारा घरेलू गैस श्रेणी के सिलेण्डर (मानकभार 14.2 KG) को ईधन के रूप में अवैध रूप से मिठाई/नमकीन बनाने में प्रयुक्त किया जा रहा था। मौके पर 2 घरेलू श्रेणी के सिलेण्डर रखे पाये गये जिनमें से एक सिलेण्डर रेगुलेटर एवं गैस चूल्हा के माध्यम से अवैध रूप से मिठाई/नमकीन बनाने में ईधन के रूप में मौके पर काम में लिया जा रहा था। घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण व ईधन के रूप में अवैध रूप प्रयोग करने के कारण उक्त 2 सिलेण्डर मय गैस चुल्हा एवं रबर पाईप एवं रेगुलेटर की मौके पर फर्द अभिग्रहण तैयार की गई। श्री महावीर प्रसाद जैन द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का दुरुपयोग कर अवैध रूप से भण्डारण एवं दुरुपयोग किया जाना पाया गया। उक्त सिलेण्डर बाबत कोई साक्ष्य/दस्तावेज व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः 2 गैस सिलेण्डर को सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित रखने हेतु गौमती सुधा गैस एजेन्सी उनियारा के प्रतिनिधि श्री मनोज चतुर्वेदी निवासी वार्ड संख्या 14 उनियारा शहर की सपुदर्गी में दिया जाकर निर्देशित किया गया कि जब भी जहाँ भी राज्य सरकार मांगे प्रस्तुत करे तथा इनको खुर्द-बुर्द नहीं करें। श्री महावीर प्रसाद जैन द्वारा एलपीजी (प्रदाय और वितरण



जिला कलेक्टर  
टोंक

का विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। अतः उक्त जब्तशुदा 02 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय 10.5 Kg एलपीजी को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने से उक्त सामग्री जप्त सरकार कि गई है, जिसे राजसात किया जावे।

अप्रार्थी का कथन है कि प्रकरण का उचित निस्तारण किया जावे।

परोकार सरकार की बहस/अप्रार्थी के कथन पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। फर्द मौका जप्ती दि० 24.09.2024 के अनुसार मै० महावीर प्रसाद जैन मैसर्स सुशील नमकीन भण्डार उनियारा जिला टोंक की दुकान/व्यवसाय स्थल की जांच करने पर मौके पर 14.2 KG क्षमता के 02 सिलेण्डर मिले। घरेलू गैस सिलेण्डर को व्यवसायी द्वारा अवैध रूप से मौके पर नमकीन/मिठाई बनाये जा रही थी। सिलेण्डर का विवरण निम्नानुसार है।

(सभी मात्रा किलोग्राम में)

क्र.स.	एस.आर. नम्बर	कम्पनी का नाम	मानक भार	खाली सिलेण्डर वजन	सिलेण्डर का वजन तौलने पर	शुद्ध गैस
1	0775389 T	H.P.	14.2	15.1	22.0	6.9
2	13258 L	H.P.	14.2	15.4	19.0	3.6
						10.5

घरेलू गैस के व्यवसायिक कार्यों में दुरुपयोग रोकने की कार्यवाही हेतु जांच दल द्वारा जांच करने पर होटल/दुकान/व्यवसाय स्थल पर मौके पर 02 घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण किया जाना पाया गया। फर्द मौका/जप्ती पर विष्णुसिंह दिलखुश तथा मनोज के हस्ताक्षर हैं। सुपुर्दगीनामे पर भी विष्णुसिंह दिलखुश तथा मनोज के हस्ताक्षर हैं तथा गौमती सुधा गैस एजेन्सी उनियारा के प्रतिनिधि श्री मनोज चतुर्वेदी के हस्ताक्षर हैं जिनको उक्त सामग्री सुपुर्दगी में दी गई है।

घरेलू गैस जिस पर सरकार द्वारा समय-समय पर सब्सिडी दी जाती है को मौके पर व्यवसायी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का भण्डारण, अवैध रूप से मिठाई/नमकीन बनाने का कार्य कर दुरुपयोग किये जाने से उक्त कृत्य कर एलपीजी आदेश 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः उक्त सामग्री को राजसात किया जाना उचित प्रतीत होता है।



  
जिला कलेक्टर  
टोंक

फलतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जब्तशुदा 02 नग उक्त वर्णित घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर मय 10.5 किलोग्राम को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी टोंक को निर्देशित किया जाता है कि जब्तशुदा सामग्री का नियमानुसार निस्तारण करे।

निर्णय आज दिनांक 28.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. सौम्या झा)  
जिला कलेक्टर टोंक  
टोंक

